फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
ओमाराम	बनाम	मदनलाल वगैरह

मुकदमा नं.– 05 / 2021

किस्म प्रकरण : [illegible]

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
17-5-21	[illegible] कोरोना / लॉकडाउन [illegible] पत्रावली [illegible] 16/8/21 [illegible]	
16-8-21	वकील वादी उप. PLD रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल हुई। PLD रिपोर्ट पर वकील को सुना गया जिन्होंने PLD प्रस्ताव सही होने [illegible] तथा वाद के अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। चूंकि वकील ने PLD प्रस्ताव सही होने के [illegible] प्रस्ताव अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया है अतः वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। [illegible] निर्णय जारी है [illegible] पत्रावली [illegible] होकर दाखिल रिकार्ड हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) जायल

क्रमांक/भू०अ०/2021/2862 दिनांक 30-7-2021

Kwf
JOW
16/8/21

प्रेषित :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो०
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके पत्रांक / दिनांक - 303/08-04-2021 के अनुसरण में राजस्व वाद संख्या 50/2020 अनुवान आसाराम बनाम मदनराम वगैरह में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए इस कार्यालय का पत्रांक / दिनांक 1636,1637/20-4-2021 जारी किया, प्राथमिक डिक्री आदेश की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर इस कार्यालय में जमा हो गया, अतः इस पत्र के संलग्न रा०वा०सं० 50/2020 में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है,

संलग्न :- रा०वा०सं० 50/2020 में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में ।

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव

मैं शक्तिसिंह नायब तहसीलदार देह न्यायालय सहायक कलेक्टर आदेश क्रमांक/रीडर/कोर्ट/2021/303 दिनांक 8.4.2021 राजस्व वाद संख्या 50/2020 उनवान भागीराम बनाम मदनराम वगैरा मे प्राथमिक डिक्री एंव श्रीमान् तहसीलदार साहब जायल के आदेश क्रमांक/भू अ०/प्राथ. डिक्री/2021/1636/ दिनांक 30.4.2021 की पालना मे भुमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 14.7.2021 को वाके ग्राम गोठ, पिड़ियारा मांगलोद, रातंगा, पटवार मण्डल - मांगलोद व रातंगा पर भू० अ० निरीक्षक मांगलोद एंव हल्का पटवारी मांगलोद के साथ मौके पर पहुंचा। न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) जायल मे विचाराधीन प्रकरण सं० 50/2020 के समस्त पक्षकारो को तहसील कार्यालय से नोटिस दिनांक 9-07-2021 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामिल विधिवत रुप से करवायी गयी समस्त पक्षकारो मे से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित है—

क्रस	नाम मय वल्दियत	उम्र	जाति	वादी/प्रतिवादी
1	भागाराम पुत्र मदनराम	39	जाट	वादी
2.	मंगाराम पुत्र मदनराम	33	जाट	वादी
3.	सुगना पत्नि प्रेमाराम	28	जाट	वादी प्रेमाराम की पत्नि
4.	मदनराम पुत्र चौथाराम	65	जाट	प्रतिवादी
5	नेनी पत्नि मदनराम	62	जाट	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारो की उपस्थिति मे भुमि का मुआवना मौका किया गया एंव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया

क्रस	नाम ग्राम	हिस्सेदार का नाम मय वल्दियत	ख.न	रकबा मेसे	स्थिति
1.	पिड़ियारा	भागाराम पुत्र मदनराम जाति जाट के हिस्से मे	2	2.9380 है०	पुरा हिस्सा
			62	2.7518 है०	पुरा हिस्सा
			84	1.6834 है०	पश्चिमी हि० सलग्न नक्शानुसार
		कुल	3	7-3732 है०	
2.	पिड़ियारा	मंगाराम दनुसलिया पुत्र मदनलाल जाति जाट के हिस्से मे	147/217	0.0809 है०	पुरा हिस्सा
			284/11	2.3310 है०	पुरा हिस्सा
			84 मेसे	1.6187 है०	भागाराम के पूर्व दिशा मे
	गोठ		170 मेसे	2.9137 है०	दक्षिणी हिस्सा सलग्न नक्शानुसार
		कुल	4	6-9443 है०	

P.T.O.

Scanned with CamScanner

क्रमांक	नाम ग्राम	हिस्सेदार का नाम मय वल्दियत	ख.नं.	रकबा में से	स्थिति
3.	पिड़ियारा	प्रेमाराम दन्तुसलिया पुत्र मदनलाल जाति जाट के हिस्से मे	84 मे से	1.3194 हे.	पूर्वी हिस्सा संलग्न नक्शानुसार
	गोठ	"	204	2.1125 हे.	पूरा हिस्सा
	मांगलोद	"	1285/1241	1.7884 हे.	पूरा हिस्सा
			3	5.2206 हे.	
4.	पिड़ियारा	जगदीश दन्तुसलिया पुत्र मदनलाल जाट के हिस्से मे	84 मे से	1.7806 हे.	मंगाराम प्रेमाराम मध्य संलग्न नक्शानुसार
	गोठ	"	5	2.5090 हे.	पूरा हिस्सा
		"	170 मे से	0.6960 हे.	उत्तरी हिस्सा संलग्न नक्शानुसार
	रातंगा	"	617	3.8121 हे.	पूरा हिस्सा
			4	8.7977 हे.	
5.	पिड़ियारा	मदनाराम पुत्र चौथाराम जाति जाट के हिस्से मे	157	1.4973 हे.	पूरा हिस्सा
		कुल	1	1.4973 हे.	

मौके पर उपरोक्तानुसार ही कब्जा काश्त है अन्य पक्षकारो का कोई कब्जा काश्त नही है. वादी एवं प्रतिवादी उक्त विभाजन से सहमत है उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारो और मौतबिरातो के समक्ष बनायी तथा पढकर सुनाई गयी मौके पर उपस्थित पक्षकारो ने पढ-सुन एवं समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये गये।

क्रम	नाम मय वल्दियत	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	भागाराम पुत्र मदनाराम	जाट	भागाराम	प्रार्थी
2.	मंगाराम पुत्र मदनलाल	जाट	मंगाराम	प्रार्थी
3.	मदनराम पुत्र चौथाराम	जाट	MR राम	
4.	मैनीदेवी पत्नि मदनाराम	जाट		अप्रार्थी
5.	सुगना पत्नि प्रेमाराम	जाट		अप्रार्थी

प्रार्थी प्रेमाराम की पत्नि।

(हस्ताक्षर) पटवारी गोंगलिकिर   (हस्ताक्षर)   सुगना   (हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner

अन्य उपस्थित मौत बिरान को भी ~~मौका~~ उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई एंव उनके हस्ताक्षर करवाये गये इस प्रकार आज दिनांक 14.7.2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

भागाराम
मंगाराम

मंगलाराम

LC 1 म. मंगलाराम

पो मंगलाराम

महेन्द्राराम

N.T.deh

अनि. मेनादेवी

किशोर
पुत्र नाथुराम

सुगना

Mukesh S/o
Sarun

रामचन्द्र
पुत्र मनीराम

प्रकाश
पुत्र जेताराम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण – राजस्व वाद संख्या :– 50/2020

1. भागाराम पुत्र मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल उम्र– 39
2. मंगाराम दन्तुसलिया पुत्र मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल उम्र–32
3. प्रेमाराम दन्तुसलिया पुत्र मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल उम्र–31
4. जगदीश दन्तुसलिया पुत्र मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल उम्र–29

जातियान–जाट निवासीगण–पीडियारा, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल पुत्र चौथाराम, उम्र–65 जाति–जाट निवासी–पिड़ियारा, तहसील–जायल जिला–नागौर।
2. नेनी पत्नि मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल
3. सुमन पुत्री मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला–नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम–1955

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण
2. श्री दशरथसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक :** 16/8/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा रिश्तेदारी में पिता, पुत्र व पत्नि एवं पुत्री है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पुश्तैनी बडेर के खेत खसरा नं. 2, 62, 84, 147/217, 157, 284/11, मौजा पिड़ियारा, खेत खसरा नं. 170, 204, 5, मौजा गोठ, खसरा नं. 427/477, 427/478, मौजा रूणियां, खसरा नं.1285 मौजा मांगलोद एवं खसरा नं. 617 मौजा रातंगा तहसील जायल मे स्थित है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

16/8/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वृद्ध व बीमार है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति से वाद पत्र पैरा संख्या 3 (क, ख, ग, घ, ड़, ड़, च, छ,) अनुसार मौखिक बंटवारा कर काबिज काश्त हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने से खातेदार काश्तकारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा वादपत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णन अनुसार खातेदार/काश्तकार के हक बंट में घोषित करते हुये तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी ने दिनांक 13.07.2020 को वकालात नामा व ईकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का इकबालिया जबाव व प्रकरण तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह भागाराम पुत्र मदनराम उर्फ मदनाराम का पेश किया जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी ग्राम पिड़ियारा खाता संख्या 104 सम्वत् 2072–2075 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी ग्राम गोठ खाता संख्या 107 सम्वत् 2070–2073, प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी ग्राम रातंगा खाता संख्या 355 सम्वत् 2072–2075 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी ग्राम गोठ खाता संख्या 75 सम्वत् 2070–2073, पदर्श–4, नकल जमाबंदी ग्राम मांगलोद, खाता संख्या 56 सम्वत् 2070–2073, प्रदर्श–5 कराये जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब व वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र को माफिक वाद स्वीकार किये जाने' को निवेदन किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रकरण में इकबालिया जबाब प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त खेताय की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में होना नकल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

जमाबंदीयां प्रदर्श–1 से 5 के अवलोकन से होती है। बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वादपत्र में संयोजित है तथा वादपत्र के पैरा के अनुसार के खेत खसरा नं. 2, 62, 84, 147/217, 157, 284/11, मौजा पिड़ियारा, खेत खसरा नं. 170, 204, 5, मौजा गोठ, खसरा नं. 427/477, 427/478, मौजा रूणियां, खसरा नं.1285 मौजा मांगलोद एवं खसरा नं. 617 मौजा रातंगा की भूमि की खातेदारी की घोषणा व बंटवारा स्वीकार किये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अनुतोष पक्षकारान द्वारा चाहा गया है।

पक्षकारान् पिता के जीवित रहते हुये पुश्तैनी खेताय की भूमि में का वादपत्र के पैरा संख्या 3 के उपपैराज के अनुसार बंट व घोषणा खातेदारी वादीगण द्वारा गई है तथा इस हेतु पिता/माता की सहमति है।

पक्षकारान द्वारा खेत खसरा नं. 2, 62, 84, 147/217, 157, 284/11, मौजा पिड़ियारा, खेत खसरा नं. 170, 204, 5, मौजा गोठ, खसरा नं. 427/477, 427/478, मौजा रूणियां, खसरा नं.1285 मौजा मांगलोद एवं खसरा नं. 617 मौजा रातंगा की भूमि में प्रतिवादी संख्या ,1 मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल व प्रतिवादी संख्या 2 नैनी के साथ वादीगण क्रमशः भागाराम, मंगाराम, प्रेमाराम जगदीश व प्रतिवादी संख्या 3 सुमन को सहखातेदार घोषित किये जाने तथा मुतदाविया खेतायो की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 3 के अनुसार पूर्णरूपेण विभाजन किये जाने तथा पृथक–पृथक खसरों की खातेदारी घोषित किये जाने का अनुतोष है।

चूंकि वादग्रस्त खेताय में वादीगण द्वारा विवादग्रस्त खेताय की भूमि में से ग्राम पिड़ियारा के खेत खसरा नं. 84 एवं ग्राम गोठ के खेत खसरा नं. 170 का माफिक नजरी नक्शानुसार बंटवारा चाहा है तथा शेष खेताय 2, 62, 147/217, 157, 284/11, मौजा पिड़ियारा, खेत खसरा नं. 204, 5, मौजा गोठ, खसरा नं. 427/477, 427/478, मौजा रूणियां, खसरा नं.1285 मौजा मांगलोद एवं खसरा नं. 617 मौजा रातंगा का पूर्णरूपेण विभाजन चाहा जिससे लगान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है का मुतदाविया खेतायों में कोई हक बंट नहीं रखा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 3 द्वाराम विवादग्रस्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है।

अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का पाया गया है। साथ ही पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त खेतायों में केवल खसरा नं. 84 व 170 का ही माफिक नजरी नक्शानुसार अनुतोष चाहा है। जिससे वादीगण के वाद को अन्तिम डिक्री नहीं किया जाकर पक्षकारान के द्वारा चाहे गये बंटवारे के लिए बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करना उचित समझते हुये वादीगण का वाद आंशिक

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री के आदेश दिनांक 31.03.2021 को पारित किये गये।

उक्त निर्णय आदेश की पालना में तहसीलदार जायल ने जरिये पंत्राक : भू.अ./2021/2862 दिनांक 307.2021 के बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में तैयार किये जाने की पुष्टि संलग्न बंटवारा प्रस्ताव नोटिस तथा बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान के (भागाराम, प्रेमाराम, भंवरलाल, अणदाराम, मंगाराम) के हस्ताक्षर से होती है। चूंकि प्रकरण हाजा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमियों में सहखातेदार घोषित होने तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार विभाजन की इस्तदुआ चाही गई है।

अतः हम वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को ग्राम पीडियारा तहसील जायल के खसरा नं. 2, 62, 84, 147/217, 157, 284/11, ग्राम गोठ तहसील जायल के खसरा नं. 170, 204, 5, ग्राम रूणियां तहसील जायल के खसरा नं. 427/477, 427/478, ग्राम मांगलोद के खसरा नं. 1285/1241 तथा ग्राम रातंगा के खसरा नं. 617 की भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज के साथ सहखातेदार घोषित किया जाना तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार विभाजन करते हुये वादपत्र को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ग्राम पीड़ियारा तहसील जायल के खसरा नं. 2, 62, 84, 147/217, 157, 284/11, ग्राम गोठ तहसील जायल के खसरा नं. 170, 204, 5, ग्राम रूणियां तहसील जायल के खसरा नं. 427/477, 427/478, ग्राम मांगलोद के खसरा नं. 1285/1241 तथा ग्राम रातंगा के खसरा नं. 617 में सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भागाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम पिड़ियारा खसरा नं. 2, 62 सम्पूर्ण हिस्सा तथा खसरा नं. 84 में से 1.6834 पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी मंगाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा पिड़ियारा के खेत खसरा नं. 147/217, 284/11 सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नं. 84 में से 1.6187 हैक्टैयर (पूर्वी भाग), खसरा नं. 170 में से 2.9137 हैक्टैयर दक्षिणी भाग संलग्न नजरी नक्शानुसार, घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. वादी प्रेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा पिड़ियारा के खसरा नं. 84 में से 1.3194 हैक्टैयर (पूर्वी हिस्सा) तथा ग्राम गोठ के खसरा 204, ग्राम मांगलोद के खसरा नं. 1285/1241 हैक्टैयर सम्पूर्ण हिस्सा तथा ग्राम रूणियां तहसील जायल के खसरा नं. 427/477, 427/478 की सम्पूर्ण भूमि घोषित किया जाता है।
4. वादी जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा पिड़ियारा के खसरा नं. 84 में से 1.7806 हैक्टैयर (वादी मंगाराम, प्रेमाराम के मध्य में) ग्राम गोठ के खसरा नं. 5 रकबा 2.5090 हैक्टैयर, पूरा हिस्सा, खसरा नं. 170 में से 0.6960 हैक्टेयर उतरी हिस्सा नजरी नक्शानुसार तथा ग्राम रातंगा तहसील जायल के खसरा नं. 617 रकबा 3.8121 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल के हक बंट कब्जा काश्त एंव खातेदारी में ग्राम पिड़ियारा तहसील जायल के खसरा नं. 157 रकबा 1.4973 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
6. मुतदाविया खेतायो में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हक हिस्सा नहीं रखा है तथा भूमि अन्तरण होने से नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क जमा कराये जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही तहसीलदार जायल सुनिश्चित करे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तदनुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एस.डी.ओ. जायल

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 50/2020

वादीगण –

1. भागाराम पुत्र मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल उम्र– 39
2. मंगाराम दन्तुसलिया पुत्र मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल उम्र–32
3. प्रेमाराम दन्तुसलिया पुत्र मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल उम्र–31
4. जगदीश दन्तुसलिया पुत्र मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल उम्र–29
   जातियान–जाट निवासीगण–पीडियारा, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल पुत्र चौथाराम, उम्र–65 जाति–जाट निवासी–पिड़ियारा, तहसील–जायल जिला–नागौर।
2. नेनी पत्नि मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल
3. सुमन पुत्री मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला–नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

पस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री दशरथसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

– : : आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण श्री शरथसिंह अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री रेन्द्रसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि : –

वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कियां जाता है तथा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ग्राम पीड़ियारा तहसील जायल के खसरा नं. 2, 62, 84, 147/217, 157, 284/11, ग्राम गोठ तहसील

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

16/8/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

जायल के खसरा नं. 170, 204, 5, ग्राम रूणियां तहसील जायल के खसरा नं. 427/477, 427/478, ग्राम मांगलोद के खसरा नं. 1285/1241 तथा ग्राम रातंगा के खसरा नं. 617 में सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भागाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम पिड़ियारा खसरा नं. 2, 62 सम्पूर्ण हिस्सा तथा खसरा नं. 84 में से 1.6834 पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी मंगाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा पिड़ियारा के खेत खसरा नं. 147/217, 284/11 सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नं. 84 में से 1.6187 हैक्टैयर (पूर्वी भाग), खसरा नं. 170 में से 2.9137 हैक्टैयर दक्षिणी भाग संलग्न नजरी नक्शानुसार, घोषित किया जाता है।
3. वादी प्रेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा पिड़ियारा के खसरा नं. 84 में से 1.3194 हैक्टैयर (पूर्वी हिस्सा) तथा ग्रम गोठ के खसरा 204, ग्राम मांगलोद के खसरा नं. 1285/1241 हैक्टैयर सम्पूर्ण हिस्सा तथा ग्राम रूणियां तहसील जायल के खसरा नं. 427/477, 427/478 की सम्पूर्ण भूमि घोषित किया जाता है।
4. वादी जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा पिड़ियारा के खसरा नं. 84 में से 1.7806 हैक्टैयर (वादी मंगाराम, प्रेमाराम के मध्य में) ग्राम गोठ के खसरा नं. 5 रकबा 2.5090 हैक्टैयर, पूरा हिस्सा, खसरा नं. 170 में से 0.6960 हैक्टेयर उतरी हिस्सा नजरी नक्शानुसार तथा ग्राम रातंगा तहसील जायल के खसरा नं. 617 रकबा 3.8121 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी मदनराम उर्फ मदनाराम उर्फ मदनलाल के हक बंट कब्जा काश्त एंव खातेदारी में ग्राम पिड़ियारा तहसील जायल के खसरा नं. 157 रकबा 1.4973 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
6. मुतदाविया खेतायो में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हक हिस्सा नहीं रखा है तथा भूमि अन्तरण होने से नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क जमा कराये जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही तहसीलदार जायल सुनिश्चित करे।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

(सुधीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 50/2020
भागाराम बनाम मदनराम उर्फ मदनाराम वगैरह

तीज – मुबलिग – बाबत् – खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....16/9/2021.. को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

:–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

16/9 सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(सतीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner